न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 364 / 2020 ::

1. श्रवणी देवी पत्नि तेजूराम उम्र करीबन 46 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान। वादी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र सुण्डा
2. नरेश पुत्र धन्ना नाबा. जरिये माता प्रेम
3. प्रेम पत्नि धन्ना
4. भागचन्द पुत्र धन्ना सर्व जाति बैरवा निवासी ग्राम सील तहसील अरांई
5. कमला पत्नि रंगलाल
6. छोटू पुत्र उगमा
7. शोदान पुत्र रंगलाल सर्व जाति जाट निवासी सान्दोलिया
8. हजारी पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम सान्दौलिया तहसील अरांई
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 23/5/2022

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 30.07.2020 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 364 / 2020 .पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। 24.08.2020 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 व 09 की और से कोई उपस्थित नहीं होनें से दिनांक 04.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 व 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

अप्रार्थी संख्या 08 की और से वकील रामधन [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया गया लेकिन समयावधि व्यतीत हो जाने पर भी वे उपस्थित नहीं हुये जिसके [illegible] में अप्रार्थी संख्या 08 का जवाब भी दिनांक 04.03.2022 को बन्द कर दिया गया। प्रार्थीगण [illegible] जरिये अभिभाषक [illegible] प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सान्दोलिया पटवार हल्का सान्दोलिया तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 164 खसरा संख्या 1170/307 रकबा 0.1618 हैक्टैयर है तथा खसरा संख्या 1263/307 रकबा 0.8899 हैक्टैयर है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। चारो सीमाओं पर निम्नानुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है उत्तर में ग्राम सील की सीमा, दक्षिण में खसरा संख्या 1065/307 अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 07 की खातेदारी, पूर्व में खसरा संख्या 1260/307 अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की खातेदारी आराजी, पश्चिम में खसरा संख्या 1261/307 अप्रार्थी संख्या 09 की खातेदारी आराजी है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की आराजी कृषि भूमि 164 खसरा संख्या 1170/307 रकबा 0.1618 हैक्टैयर है तथा खसरा संख्या 1263/307 रकबा 0.8899 हैक्टैयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0517 हैक्टैयर पर कृषि कार्य करती चली आ रही है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीया की एकल खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीया एक गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करती है जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह है कि वाद कारण दिनांक 03.07.2020 को जब उत्पन्न हुआ पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान हेतु मौके पर गये तथा विवाद की आंशका जताते हुये सीमाज्ञान नहीं किया तत्पश्चात प्रार्थीया द्वारा अपनी एकल खातेदारी आराजी में दिनांक 05.07.2020 को बुआई करने गयी तो अप्रार्थीगण प्रार्थीया से मेड को लेकर विवाद करने लग गये इसीलिये प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सान्दोलिया पटवार हल्का सान्दोलिया तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 164 खसरा संख्या 1170/307 रकबा 0.1618 हैक्टैयर है तथा खसरा संख्या 1263/307 रकबा 0.8899 हैक्टैयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0517 हैक्टैयर भूमि का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीया के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:15:56 IST
Reason: Self Attested

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में [illegible]या [illegible]कल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सान्दोलिया पटवार हल्का सान्दोलिया भू.अभि. [illegible] स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 164 खसरा संख्या 1170/307 रकबा 0.1618 हैक्टैयर है [illegible] खसरा संख्या 1263/307 रकबा 0.8899 हैक्टैयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0517 हैक्टैयर [illegible] स्थित है उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वादी की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सान्दोलिया पटवार हल्का सान्दोलिया तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 164 खसरा संख्या 1170/307 रकबा 0.1618 हैक्टैयर है तथा खसरा संख्या 1263/307 रकबा 0.8899 हैक्टैयर है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीया की एकल खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीया एक गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करती है जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सान्दोलिया पटवार हल्का सान्दोलिया तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 164 खसरा संख्या 1170/307 रकबा 0.1618 हैक्टैयर है तथा खसरा संख्या 1263/307 रकबा 0.8899 हैक्टैयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0517 हैक्टैयर भूमि का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीया के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया, दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया था तथा दिनांक 03.07.2020 को पटवारी हल्का मौके पर सीमाज्ञान हेतु पहुंचे थे लेकिन विवाद की आशंका होने से सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सान्दोलिया पटवार हल्का सान्दोलिया भू अभि. निरी. वृत्त तहसील अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 164 खसरा संख्या 1170/307 रकबा 0.1618 हैक्टैयर व खसरा संख्या 1263/307 रकबा 0.8899 भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

राई को कमिश्नर फीस 1500/--रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

23/05/2022

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:15:56 IST
Reason: SelfAttested